भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2355

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2023 को दिया जाना है।

.....

जल का इष्टतम उपयोग

2355. कुमारी राम्या हरिदासः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों (कृषि, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक) में जल उपभोक्ताओं में जल के विवेकपूर्ण और इष्टतम उपयोग के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता का स्तर बहुत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जल की कमी की उभरती हुई समस्या की जनाकारी है;

(ग) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन क्षेत्रों में जल संचयन और संरक्षण लगभग नहीं के बराबर है, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ग): जल राज्य का विषय होने के कारण देश में जल संरक्षण सहित जल प्रबंधन संबंधी पहल करना मुख्यत: राज्यों की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों की सहायता करती है।

भारत में उभरता जल संकट, जो एक वैश्विक घटना भी है, से निपटने के लिए मांग और आपूर्ति पक्षों की दृष्टि से जल संरक्षण कार्यकलापों के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए हैं। भारत में, जल शक्ति मंत्रालय और साझेदार मंत्रालयों के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम जैसे नमामि-गंगे कार्यक्रम, अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन-हर घर जल, जल शक्ति अभियान, प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना (आरकेवीवाई), अमृत सरोवर, मिशन लाइफ; अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), आदि जल सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। विभिन्न हितधारकों जैसे कि नॉट फॉर प्रॉफिट संगठनों, कॉर्पोरेट्स, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों ने जल सुरक्षा हासिल करने के लिए सरकार के साथ हाथ मिलाया है।

प्रधान मंत्री के आह्वान से प्रेरित होकर राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) के तहत जल शक्ति अभियान : कैच द रेन (जेएसए-सीटीआर) अभियान के मुख्य उद्देश्यों में से एक जल आंदोलन के माध्यम से जन आंदोलन करते हुए जल संरक्षण के लिए समुदायों को जुटाना है। इस संबंध में विभिन्न पहल की गई हैं।

एनडब्ल्यूएम में नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और इसके विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी में एनवाईकेएस नेटवर्क के माध्यम से जेएसए: सीटीआर अभियान द्वारा 623 जिलों के 31,150 गांवों तक पहुंच बनाई गई है। एनवाईकेएस, रैलियों, जल चौपालों, क्विज़, वाद-विवाद, स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिताओं, वॉल राइटिंग आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से 38.62 लाख गतिविधियां करते हुए 4.29 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच गया है।

655 जिलों ने जिलों में वर्षा जल संरक्षण उपायों के बारे में नागरिकों को सुविधा प्रदान करने और संवेदनशील बनाने के लिए जल शक्ति केंद्रों की स्थापना की है।

वर्ष 2019 में अभियान की शुरुआत के बाद से सामुदायिक भागीदारी के साथ जेएसए अभियान के तहत 1 करोड़ से अधिक जल संबंधी कार्य किए गए हैं।

राष्ट्रीय जल मिशन ने वर्ष 2019 में कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता में वृद्धि हेतु "सही फसल" नामक एक अभियान शुरू किया था ताकि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया जा सके जो पानी की अधिक खपत करने वाली नहीं हों, पानी का बहुत कुशलता से उपयोग करती हों; और आर्थिक रूप से पारिश्रमिक हों; स्वस्थ और पौष्टिक हों; क्षेत्र की कृषि-जलवायु-हाइड्रो विशेषताओं के अनुकूल हों; और पर्यावरण के अनुकूल हों। राज्यों के मुख्य सचिवों से जिलों में सही फसल कार्यशालाएं आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।

देश के विभिन्न हिस्सों में कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न किसान मेलों के दौरान, किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, उपयुक्त फसलों और पशुधन और मत्स्य पालन से जुडे कुशल जल प्रबंधन के बारे में बताया जाता है। जेएसए सीटीआर 2022 के दौरान कुल 69358 प्रशिक्षण कार्यक्रम/किसान मेले आयोजित किए गए।

साझेदार मंत्रालयों द्वारा राज्यों द्वारा जेएसए: सीटीआर-2023 के तहत की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार के 12 मंत्रालयों के सचिवों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त डीओ पत्र को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिवों को भेजा गया है।

यह मंत्रालय 7 राज्यों के 80 जल की कमी वाले चिन्हित जिलों में अटल भूजल योजना कार्यान्वित कर रहा है। यह स्कीम सतत् भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और मांग पक्ष के कार्यकलापों पर केंद्रित है। ग्राम पंचायत स्तर पर 8000 से अधिक जल सुरक्षा योजनाएं बनाई गई हैं।

इसके अलावा, लोगों के बीच जल संरक्षण के संदेश का प्रचार-प्रसार करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सूचना शिक्षा संचार गतिविधियां शुरू की गई हैं। विभाग/मिशनों की सोशल मीडिया टीम नियमित रूप से जल संरक्षण के संबंध में सूचनात्मक पोस्ट तैयार करती है और उन्हें मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और कूएप के माध्यम से मंत्रालय के कार्यक्रमों/योजनाओं पर प्रकाश डालती है। इसके अलावा, मंत्रालय के महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रेस रिलीज भी नियमित रूप से प्रेस इन्फोरमेशन ब्यूरो (पीआईबी) के साथ साझा की जाती है, जिसका जल शक्ति मंत्रालय में एक समर्पित सेल है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के अंतर्गत, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य भूजल रिचार्ज, पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि टैंक कमांड के कैचमेंट क्षेत्र में सुधार आदि कार्य करने के साथ-साथ अन्य कई उद्देश्यों जैसे टैंक भंडारण क्षमता में बढोतरी करते हुए जल निकायों के सुधार और पुनरूद्धार के माध्यम से सिंचाई क्षमता का पुनरूद्धार करना था।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को दिनांक 25 जून, 2015 को भारत सरकार द्वारा देश भर के चयनित 500 शहरों और कस्बों में 5 साल की अवधि के लिए अर्थात वित्त वर्ष 2015-2016 से वित्त वर्ष 2019-2020 तक शुरू किया गया था, जिसे चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। यह मिशन जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, स्टार्म वॉटर ड्रेनेज, हरित स्थानों और पार्कों और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में मिशन शहरों में बुनियादी शहरी अवसंरचना के विकास पर केंद्रित है।

मिशन अमृत सरोवर दिनांक 24 अप्रैल 2022 को भावी पीढ़ियों के लिए जल संचयन और संरक्षण करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। मिशन अमृत सरोवर ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और तकनीकी संगठनों की भागीदारी के साथ "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोण आधारित है। इस मिशन के तहत देश का हर जिला कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या संरक्षण करेगा। अब तक 64227 अमृत सरोवरों का संरक्षण कार्य पूरा हो चुका है।

जल जीवन मिशन-हर घर जल भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2019 से राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक नल से जल के कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) की पर्याप्त मात्रा (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) में पीने योग्य जल प्रदान करना है। अब तक, इस मिशन के तहत 12.71 करोड़ घरों को नल-जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

इसके अलावा, देश में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के कार्यान्वयन सहित सतत भूजल प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों को

https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2023/02/2023021742.pdf वेबलिंक पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, 15 वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट में जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों से जुडी अनुदान राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया है, जिसमें से 50 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) द्वारा उपयोग किए जाने वाली राशि जल घटक से जुडी हैं।

केंद्रित और अभिसरण में किए गए कार्यकलापों के अच्छे परिणाम देखे गए हैं। वर्ष 2022 में केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा किए गए भूजल मूल्यांकन के अनुसार, देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण वर्ष 2017 के आकलन में 431.86 बीसीएम (5.74 बीसीएम की वृद्धि) की तुलना में वर्ष 2022 में बढ़कर 437.60 बीसीएम हो गया है।

(घ): भाग (क) से (ग) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****